सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
आश्विन 01, शुक्रवार, शाके 1944-सितम्बर 23, 2022 *Asvina 01, Friday , Saka 1944- September 23, 2022*	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

जल संसाधन विभाग

विज्ञप्ति

जयपुर, सितम्बर 16, 2022

संख्या 08/भू.अ./ज.सं./2021/2075-2081:- परवन वृहद सिंचाई परियोजना की दांयी मुख्य नहर की आर.डी. 0 से 10 किमी. एंव 28.30 से 29.35 किमी. के निर्माण में आने वाली भूमि को अवाप्ति हेतु, भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11-12 के तहत जारी विज्ञप्ति क्रमांक 08/भू0अ0/ ज0स0/2021/3730-3734 दिनांक 27.08.2021 को जारी की गयी, जिसका राजस्थान राजपत्र में प्रकाशन दिनांक 12.10.2021 को किया गया है।

परवन वृहद सिंचाई परियोजना की दांयी मुख्य नहर की आर.डी. 0 से 10 किमी. एंव 28.30 से 29.35 किमी. के निर्माण में आने वाली तहसील छीपाबड़ौद का रिकार्ड अघतन/ डिजिटाईज्ड/ ऑनलाईन ना होने के कारण 3 ग्राम उम्मेदपुरा, अमलावदा आली, गुन्दलाई का राजस्व रिकार्ड उपलब्ध नही हो पा रहा व धारा-19 के प्रस्ताव तैयार नही हो पा रहे, कारण से अधिनियम की धारा 19(7) के प्रावधानुसार धारा 11-12 के तहत जारी विज्ञप्ति दिनांक 27.08.2021 को जारी विज्ञप्ति जिसका राजस्थान राजपत्र में प्रकाशन दिनांक 12.10.2021 को किया गया, में समय सीमा 6 माह अर्थात वैधता अवधि 12 माह उपरान्त दिनांक 12.10.2022 से 11.04.2023 तक बढाए जाने की स्वीकृती एतद्द्वारा प्रदान की जाती है।

कृष्ण मोहन जायसवाल,
उप सचिव एवं प्रावै .सहा.,
वास्ते मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन,
राजस्थान, जयपुर।

1979

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।